

संख्या- 186/43-2-2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2010

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों की सूची का प्रकाशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) में निम्न प्राविधान है:-

2(एच) "लोक प्राधिकारी" से

- (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
- (ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
- (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
- (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है;

और इसके अन्तर्गत,-

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गई लोक प्राधिकारी की उक्त परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों द्वारा सूचना मांगने पर विभिन्न संगठन यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वे राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्तपोषित नहीं हैं। अतः वे उक्त परिभाषा के अन्तर्गत अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं। इस भ्रान्ति के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग और निकाय अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकारियों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन करें, जिससे इसकी जानकारी आम नागरिकों को हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) के अन्तर्गत अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारियों की सूची का प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अनीता सिंह)
सचिव।